[15/3/2022] परिशिष्ट

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश भोपाल

प्रश्न सं. [क्र. 2659]

क्रमांक 3570 / 22 / वि–10 / ग्रायांसे / स.प्र.– / 2016, भोपाल, दिनांक 01 / 06 / 2016

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला – समस्त (म.प्र.)

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत – समस्त (म.प्र.)

विषयः– मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 1.00 कि.मी. से कम लंबाई के मार्गों की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में 500 की आबादी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य शासन ने सार्वभौमिक सड़क सम्पर्कता की ओर कदम बढ़ाते हुए गैर आदिवासी क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 आबादी से कम के ग्रामों को बारहमासी आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2010–11 से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कोरनेटवर्क को आधार मानकर ऐसे पात्र ग्रामों का चयन किया गया था जो कि कोरनेटवर्क के Unconnected की श्रेणी में आता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कोरनेटवर्क अनुसार 0.50 कि.मी. तक की दूरी पर स्थित ग्रामों को जुड़ा हुआ माना जाता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कोरनेटवर्क से छूटे हुए योजनान्तर्गत पात्र ग्रामों की प्रशासकीय स्वीकृति विभिन्न जिलों में जारी की गई है। जिला पंचायतों / जिला योजना समितियों से योजनान्तर्गत ऐसे ग्रामों की सूची भी प्राप्त हुई है जो कि मुख्य मार्ग से 0.50 कि.मी. से 1.00 कि.मी. दूरी पर स्थित है एवं इनका अधिकांश भाग ग्राम के आबादी के अंदर है। अतः इन मार्गों को सीमेंट कांक्रीट से बनाया जाना तकनीकी रूप से उपयुक्त होगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रावधानों के अंतर्गत आंतरिक मार्ग बनाए जाने का प्रावधान नहीं है।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों अनुसार 0.50 कि.मी. से 1.00 कि.मी. तक लंबाई के मार्गों को पंचपरमेश्वर योजना / सुदूर ग्राम सम्पर्क एवं खेत सड़क योजना अथवा 14वें वित्त आयोग में उपलब्ध राशि का उपयोग कर पंचायत राज संस्थाएं अपने संसाधनों की सीमा में प्राथमिकता अनुसार स्वीकृत कर सकेंगे।

3/6/16

(अनिरुद्ध डी. कपाले)
प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल

6/3/2022

F:\Manoj\CMSY\CMSY_Letter.doc

Executive Engineer (Tech.)
Office of Engineer-in-Chief
Rural Engineering Serv

पृ.क्रमांक 3579 / 22 / वि–10 / ग्राथांसे / स.प्र.– / 2016, भोपाल, दिनांक 01/06/2016

प्रतिलिपि:–

1. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल, मध्यप्रदेश।
3. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग मध्यप्रदेश की ओर निर्देशित किया जाता है कि आपके संभाग अंतर्गत इस प्रकार के मार्गों की स्वीकृति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से संपर्क करें।

31/5/16

प्रमुख अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल

6/3/2022

Executive Engineer (Tech.)
Office of Engineer-in-Chief
Rural Engineering Service
Bhopal (M.P.)